

22/03/24

पत्रावली के अंतर्गत वकील वादी उक्त
 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बयान सुनकर
 जकार पत्रावली में प्रस्तुत अवकाश
 तदनुमिलित दि. 22/03/2024 16/07/2024
 एवं चिन्ने बाबत प्रस्तुत पापु इत्यादि
 दस्तावेज का अवलोकन किया गया।
 जकार के अनुसार पार्थी के ख. नं.
 189/5, 189/6 वाले ठाम आवली तदनुमिल
 कुलेश की तस्वीम सही है कि हुके है।
 आनः पत्रावली के अवलोकन प्रस्तुत
 बयान जकार एवं चिन्ने/ आरिज बाबत
 प्रस्तुत पार्थी पर के आधार वाद वादीगत
 के. ध. धारा 136 R.T. Act (तदनुमिल)
 आरिज किया जाता है। पत्रावली पत्रावली
 सुमार लेकर वाद तदनुमिल हाथिल
 दफ्तार है। OK

उपरोक्त अधिकारी
सौम्य लेक

पत्रावली के अंतर्गत वकील वादी उक्त
 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बयान सुनकर
 जकार पत्रावली में प्रस्तुत अवकाश
 तदनुमिलित दि. 22/03/2024 16/07/2024
 एवं चिन्ने बाबत प्रस्तुत पापु इत्यादि
 दस्तावेज का अवलोकन किया गया।
 जकार के अनुसार पार्थी के ख. नं.
 189/5, 189/6 वाले ठाम आवली तदनुमिल
 कुलेश की तस्वीम सही है कि हुके है।
 आनः पत्रावली के अवलोकन प्रस्तुत
 बयान जकार एवं चिन्ने/ आरिज बाबत
 प्रस्तुत पार्थी पर के आधार वाद वादीगत
 के. ध. धारा 136 R.T. Act (तदनुमिल)
 आरिज किया जाता है। पत्रावली पत्रावली
 सुमार लेकर वाद तदनुमिल हाथिल
 दफ्तार है। OK

पत्रावली के अंतर्गत वकील वादी उक्त
 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बयान सुनकर
 जकार पत्रावली में प्रस्तुत अवकाश
 तदनुमिलित दि. 22/03/2024 16/07/2024
 एवं चिन्ने बाबत प्रस्तुत पापु इत्यादि
 दस्तावेज का अवलोकन किया गया।
 जकार के अनुसार पार्थी के ख. नं.
 189/5, 189/6 वाले ठाम आवली तदनुमिल
 कुलेश की तस्वीम सही है कि हुके है।
 आनः पत्रावली के अवलोकन प्रस्तुत
 बयान जकार एवं चिन्ने/ आरिज बाबत
 प्रस्तुत पार्थी पर के आधार वाद वादीगत
 के. ध. धारा 136 R.T. Act (तदनुमिल)
 आरिज किया जाता है। पत्रावली पत्रावली
 सुमार लेकर वाद तदनुमिल हाथिल
 दफ्तार है। OK

पत्रावली के अंतर्गत वकील वादी उक्त
 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बयान सुनकर
 जकार पत्रावली में प्रस्तुत अवकाश
 तदनुमिलित दि. 22/03/2024 16/07/2024
 एवं चिन्ने बाबत प्रस्तुत पापु इत्यादि
 दस्तावेज का अवलोकन किया गया।
 जकार के अनुसार पार्थी के ख. नं.
 189/5, 189/6 वाले ठाम आवली तदनुमिल
 कुलेश की तस्वीम सही है कि हुके है।
 आनः पत्रावली के अवलोकन प्रस्तुत
 बयान जकार एवं चिन्ने/ आरिज बाबत
 प्रस्तुत पार्थी पर के आधार वाद वादीगत
 के. ध. धारा 136 R.T. Act (तदनुमिल)
 आरिज किया जाता है। पत्रावली पत्रावली
 सुमार लेकर वाद तदनुमिल हाथिल
 दफ्तार है। OK